

11/1/17

वकील वादीगण एवं वादीगण अनुपस्थित / उन्हें इजलास के  
उठने तक रुक रुक कर आवेज लगवने के बावजूद कोई  
उपस्थित नहीं आया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया  
प्रकरण दिनांक 12-2-2014 से उतिवादी संख्या 5 व 6 बीतसबी  
द्वे अदालती तलबों में लंबित चला आ रहा है। अतः वाद  
पत्र अदम अदालती तलबों में आरंभ दिवायत के बावजूद पेश  
नहीं करेंगे से श्वारिज किया जाता है। जिसका फैसल शुमार लेकर  
नम्बर से कम हो। बाद ६ फरर दखिल हो।

उपरखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

